Urgent

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(36) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआर /प्रगति/2015–16 जयपुर, दि 05 मार्च, 2018

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद् समस्त राजस्थान।

विषय :– वर्ष 2018–19 के लिए पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के क्रय नियम –183 से 192 तक उल्लेखित सामग्री एवं सेवाओं का उपापन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 से संबंधित प्रक्रिया का समयबद्ध क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अधीन सम्पादित होने वाले समस्त योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु (महात्मा गांधी नरेगा सहित) वर्ष 2018–19 के लिए पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने हेतु बेसिक दरों का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

इस हेतु पंचायत समिति के स्तर पर समुचित सर्वे करने, दर प्रस्तावक समिति की बैठक आयोजित करने एवं जिला दर निर्णायक समिति के स्तर पर समुचित समीक्षा उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूची (बीएसआर) के अनुमोदन आदि की कार्यवाही माह मार्च, 2018 में पूर्ण कर बेसिक दरों का ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पर इन्दाज कराकर पंचायत समितिवार बीएसआर दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी करने एवं निर्माण कार्यो के लिए आवश्यक सामग्री उपापन आदि हेतु निविदाओं की समयबद्ध कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराने का श्रम करायें।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महात्मा गांधी नरेगा/पंचायती राज/जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण।
10. अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा।

11. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वॉटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (एम&ई.), ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
15. परियोजना अधिकारी (लेखा)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
17. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त राजस्थान।
18. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)